मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3129
11 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

शहरी सीमाओं का विस्तार

3129. श्री नलीन कुमार कटील :
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में शहरी सीमाका विस्तार तेज गति से हो रहा है तथा यदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि देश में ग्रामीणशहरी सीमा प्रबंधन संबंधित नई चुनौतियां संकटमयहो गई हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश मेंशहरी और ग्रामीण संवहनीय विकास हेतुदीर्घकालीन योजना की तत्काल आवश्यकता है;और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथासरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपायकिए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : देश में तेजी से शहरीकरणहो रहा है। इसकेपरिणामस्वरूपशहरों की सीमा के साथ शहरों का विस्तार हो रहा है,जो शहरी योजनाकारों और शहर प्रबंधकों के लिए चुनौती पैदा कर रहा है।2011 की जनगणना के अनुसार, देश की शहरी आबादी 2001 की तुलना में 2011 में 27.8% से बढकर31.2% हो गई ।

योजना और विकास राज्य के विषय है । तीव्रशहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने में भारत सरकार राज्यों को उनके प्रयासों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के मार्गदर्शन के लिए 'शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014'जारी किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सुस्थिर और संतुलित क्षेत्रीय और शहरी आयोजना और विकास को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने मॉडलबिल्डिंगउपनियम (एमबीबीएल) 2016 भी जारी किया है, जो राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक परामर्शी दस्तावेज है। एमबीबीएल2016 भवनों के विभिन्न निर्माण पहलुओं को कवर करता है ताकि व्यवस्थित विकास किया जा सके।

***